



2026:AHC:158604

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत बीएनएसएस की धारा 528 संख्या - 2122 वर्ष 2026

रिंकू

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : हिमांशू दूबे, शुभम पांडेय

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 78

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री हिमांशू दूबे और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि विपक्षी संख्या 2 ने वैवाहिक कलह के लिए अभियुक्त-आवेदक संख्या 1 (पति) और आवेदक संख्या 2 (सास) के विरुद्ध वैवाहिक अत्याचार और दहेज की मांग के आरोप में दिनांक 03.08.2022 को एफ.आई.आर. दर्ज कराई है। अभियुक्त-आवेदक संख्या 1 और विपक्षी संख्या 2 का विवाह दिनांक 07.12.2020 को संपन्न हुआ था। विवाह निर्वाह न होने के कारण एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि वर्तमान में दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया में हैं और आपसी सहमति से तलाक की याचिका की प्रति आवेदन के पृष्ठ संख्या 52 पर उपलब्ध है। उन्होंने आगे बताया कि दोनों पक्षों ने अवर न्यायालय में अपराध के समझौते के लिए आवेदन दिया था, जिसे दिनांक 21.11.2025 के आदेश द्वारा सीआरपीसी की धारा 320 के तहत विचारणीय न मानते हुए खारिज कर दिया गया था। अतः, यह आवेदन आपराधिक वाद संख्या 2764/2024 (राज्य बनाम रिंकू और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 195/2022 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 323, 504, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुलिस स्टेशन नरसेना, जिला बुलंदशहर में दर्ज है। यह अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 4, मेरठ के समक्ष लंबित है, समझौते के आधार पर संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है

3. विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह समझौता करने के लिए तैयार बताई जा रही है।

4. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को यदि पक्षकारों द्वारा गई परिस्थितियों में समझौता दाखिल करने के लिए अवर न्यायालय में जाते हैं तो उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गीता मेहरोत्रा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में (2012) 10 एससीसी 741 में यह टिप्पणी की कि वैवाहिक विवादों में होने वाले घरेलू झगड़े में घर के सभी परिवार के सदस्यों को शामिल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके अलावा, कहकशान कौसर उर्फ सोनम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में (2022) 6 एससीसी 599 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 498-ए के दुरुपयोग और पति के रिश्तेदारों को फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर टिप्पणी की है।

6. नरेंद्र कुमार और अन्य बनाम राज्य और अन्य के मामले में, जो 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 4048 (प्रासंगिक पैराग्राफ 21) में प्रकाशित किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 और सीआरपीसी की धारा 482 (528 बीएनएसएस) के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की सह-विस्तारित शक्तियों पर विचार करते हुए, गैर-समझौता योग्य अपराध में समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के मुद्दे पर, विशेष रूप से वैवाहिक मामलों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर विचार करते हुए, यह राय व्यक्त की कि पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते और सुलह के आधार पर कार्यवाही को रद्द करने के लिए संवैधानिक न्यायालयों में निहित अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए।

7. क्या पक्षों (सूचनाकर्ता, पीड़ित और आरोपी) के बीच समझौता हुआ है, इसका निर्णय अवर न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतः, पक्षकार अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित



होकर तीस दिनों के भीतर हुए समझौते को दाखिल कर सकते हैं, जिसकी अवर न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाएगी। अवर न्यायालय मूल प्रति को अपने अभिलेख में रखेगी।

8. यदि सूचनाकर्ता, पीड़ित और आरोपी हस्ताक्षरकर्ता न हों और सत्यापन के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हों, तो अवर न्यायालय किसी भी समझौते पर विचार नहीं करेगी। आवश्यकता पड़ने पर अवर न्यायालय उचित विचार-विमर्श करके उचित आदेश पारित करेगी।

9. यदि समझौता निर्धारित अवधि के भीतर दाखिल और सत्यापित कर दिया जाता है, तो अवर न्यायालय की कार्यवाही साठ दिनों की अवधि के लिए स्थगित रखी जाएगी, अन्यथा अवर न्यायालय सुनवाई जारी रखेगी।

10. समझौता दाखिल करने और उसे सत्यापित करवाने वाले सभी पक्षकार तब आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए एक संयुक्त आवेदन दाखिल करें।

11. उपरोक्त के मद्देनजर, धारा 528 बीएनएसएस/482 सीआरपीसी के तहत आवेदन का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

20 मार्च, 2026

शिवांगी